रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों में उपनगरीय गाड़ियों पर हानि के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	जोड़
1974-75	23.02
1975-76	23.08
1976-77	24.92

1976-77 में, 73.5 प्रतिशत उपनगरीय यात्राएं सीजन टिकटों पर अथवा अन्यथा पूरे किराये से कम दर पर की गयीं। दूसरे दर्जे के सीजन टिकटधारी द्वारा दिया गया किराया 7 से 16 कहरी यात्राओं के बराबर होता है, यद्यपि वे कम से कम 50 यात्राएं कर लेता है।

(ग) जी नहीं। यह भी उल्लेखनीय है कि इस परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपये है, न कि 400 करोड़ रुपये।

(घ) जी नहीं। जहां तक नई लाइनों और अमान परिवर्तन परियोजनाओं का सम्बन्ध है, धनराशि का आवंटन योजना आयोग द्वारा अलग से किया जाता है।

Revenue from Goods Traffic in Delhi Division

2339. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the names of the Railway stations which show an income of over Rs. 20 lakhs per month from goods traffic in Delhi Division of Northern Railway;

(b) whether arrangements for the protection of these goods including godown facilities exist at these stations;

(c) if not, the reasons therefor and the likely date by which such facilities would be provided; and

(d) the average figures of monthly income in the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 for each one of the stations in part (a) above?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Nationalisation of Smith Kline & French (I) Ltd.

2340. SHRIMATI AHILYA P. RANGNEKAR: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state the reasons for not nationalising the Smith Kline & French (I) Ltd., Bangalore, whose anti-national and anti-labour activities are causing grave concern?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): Nationlisation has to be based on policy considerations of a general or special nature. Being a company engaged in the manufacture of drug formulations, M/s. Smith Kline & French (I) Ltd. have, however, been issued a directive by the Reserve Bank of India, in pursuance of the New Drug Policy, to reduce the foreign equity to 40 per cent.

Anti-National Activities of M/s. Smith Kline & French(I) Ltd., Bangalore

2341. SHRI DINEN BHATTACHARYA: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the anti-national activities of the Smith Kline and French (I) Ltd., Bangalore, who are regularly sending semi-processed micro-biological culture in Lyophils to their parent company in U.S.A. without the sanctions of Government of India;

(b) if so, what steps have been taken against them;

(c) whether Government have conducted any enquiry and while conducting enquiry have they met with workers and union leaders; and

(d) If no enquiry done, the reasons thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (d). A complaint to this effect has been received by this Ministry, which is being enquired into.

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियमों में संशोधन

2342. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियमों में नवम्बर, 1963 में संशोधन किया गया था और संशोधन रूप में नियमों को 1 अक्तूबर, 1962 से कार्य रूप दे दिया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि संशोधित नियमों के भूतलक्षी प्रभाव के कारण किसी के हित को हानि नहीं पहुंचने दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधित नियमों को 1 अक्तूबर, 1962 से लागू किये जाने के कारण उपनिदेशकों के पद पर पदोन्नति के पात्र व्यक्तियों की एक सूची तैयार की गई थी और कुछ पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों को कुछ सीधे भर्ती किये गये अनुभाग अधिकारियों से वरिष्ट अधिकारी दिखाया गया था जब कि सीधे भर्ती किये गये ये अनुभाग अधिकारी वर्ष 1969 में जारी की गई वरिष्टता सूची के अनुसार इनसे वरिष्ठ थे और रेल बोर्ड सचिवालय नियम 14(2) की व्यवस्था के अनुसार 1 अक्तूबर, 1962 को इन्हें स्थायी माना गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार प्रभावित हुए अनुभाग अधिकारियों की संख्या कितनी है और प्रश्न के भाग (क) में दिये गये आश्वासन के उपरान्त भी ऐसा क्यों होने दिया गया और इन अधिकारियों के प्रति हुए अन्याय को मिटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969, कार्मिक विभाग द्वारा बनाये गये केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों के अनुरूप बनाये गये थे। इन नियमों के सम्बन्ध में जारी एक संशोधन के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्बन्धित अधिकारी ग्रेड I (अवर सचिव) पर पदोन्नति के पात्र बना दिये गये थे। इसके फलस्वरूप यह जरूरी हो गया कि इसी प्रकार का संशोधन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 में किया जाय जिससे उसी प्रकार का लाभ रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारियों को सुलभ कराया जा सके। यह संशोधन 24-11-73 को, न कि नवम्बर, 1963 को जारी किया गया और यह संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू हुआ। इस संशोधन के साथ एक व्याख्यात्मक ज्ञापन इस उद्देश्य से जारी किया गया था कि पात्र अनुभाग अधिकारियों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ग्रेड-I में पदोन्नति के लिए निर्धारित कुल अनुमत सेवा की गणना करते समय रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अब तक की ग्रेड-I में 1-10-1962 से उन्होंने जो सेवा की उसे भी शामिल किया जाय। व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया आश्वासन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में पदोन्नति के लिए प्रत्येक पात्र अधिकारी के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए था। कथित संशोधन से रेलवे बोर्ड सचिवालय नियम, 1969 के लिए "निश्चित दिन" जो कि "11-10-1969" है, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय नियम, 1969 के नियम 14 (2) के प्रावधानों में "निश्चित दिन" जो कि 11-10-1969 है, का उल्लेख है। "1-10-1962" की तारीख का "निश्चित दिन" से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रवरण के प्रयोजनों के लिए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (ग्रेड-I में पदोन्नति) विनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार पात्रता की एक मिली-जुली सूची बनाई गई थी। यह उल्लेखनीय है कि वरिष्ठता का प्रश्न पात्रता सूची से बिल्कुल भिन्न है। इस सूची में कुछ पदोन्नति प्राप्त अनुभाग अधिकारियों को सीधे भरती किये गये कुछ अनुभाग अधिकारियों की तुलना में केवल इस कारण ऊंची स्थिति दी गई थी कि वे 1-10-1962 से पहले अनुभाग अधिकारियों के रूप में स्थायी किये जा चुके थे और इस कारण से नहीं कि "निश्चित दिन" में कोई परिवर्तन हुआ था। इसलिए पश्चातवर्ती अधिकारियों को किसी प्रकार का कोई नकसान नहीं पहुंचा क्योंकि प्रवरण के लिए उनके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखे गये थे। हालांकि उनके अन्तिम प्रवरण को संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना था।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में चाय के स्टालों के ठेके

2343. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में रेलटे स्टेशनों पर चाय के स्टालों के ठेके देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ;

(ख) आपात स्थिति के दौरान इस रेलवे में क्या मानदण्ड अपनाया गया ;

(ग) क्या किसी ठेके के मामले में रेलवे बोर्ड की तत्कालीन नीति का उल्लंघन किया गया था ;